

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 612]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2013/पौष 3, 1935

No. 612]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2013/PAUSA 3, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. 788(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध (अधीनस्थ रैंक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 को जहां तक कि उनका संबंध सहायक उप निरीक्षक (कार्यपालक) के पद से है उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप-निरीक्षक (कार्यपालक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, सहायक उप-निरीक्षक (कार्यपालक) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान .— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. चिकित्सा मानक:— (1) वह व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन नियुक्ति चाहता है चिकित्सा मानक शेष (एस.एच.ए.पी.ई)–1 पूरा करेगा ।

(2) उपनियम (i) के प्रयोजन के लिए शेष (एस.एच.ए.पी.ई)–1 से तात्पर्य ऐसी चिकित्सा श्रेणी होगी जो गृह मंत्रालय या संबंध बल द्वारा समय–समय पर जारी किये गये कार्यपालक निर्देशों द्वारा निर्धारित की जाएगी, अर्थात् एस:–मनोवैज्ञानिक समस्या, एच:–श्रवण शक्ति (कान के रोग), ए:–ऊपरी या निचले अंग की समस्या से संबंधित उपांग अर्थात् हाथ और पैर, पी:–शारीरिक क्षमता, अन्य रोगों से सम्बंधित कारक जैसे हाइपर टेन्शन (उच्च रक्त चाप), कार्डिक डीजीज (हृदय रोग), मधुमेह (उच्च शर्करा), मोटापन (मोटा होना–अति भार), कैंसर आदि और ई:– दृष्टि शक्ति या दृष्टि रोग ।

6. अन्यदेशीय अपात्रता .— कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा। परन्तु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात, बल में नेपाल या भूटान की प्रजा की नियुक्ति या नियोजन को लागू नहीं होगी ।

7. अधिवर्षिता .—(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, या ऐसी अन्य आयु जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जा सके, अंतिम दिन के अपरान्ह को सेवानिवृत्त होगा । परन्तु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास का प्रथम दिन है, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर पूर्व मास के अंतिम दिन के अपरान्ह को सेवा निवृत्त होगा ।

(2) किसी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त की विनिर्दिष्ट आयु होने के पश्चात् सेवा में विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा ।

8. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

9. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक उप निरीक्षक (कार्यपालक)	6439 * (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड–1, 5200–20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2800 रुपये	चयन	20 और 25 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये तीन वर्ष की छूट होगी, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये भी शिथिल की जा सकती है ।

					केन्द्रीय सरकार में तीन वर्ष की नियमित सेवा करने वाले विभागीय साधारण और पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(7)

(i) शैक्षिक अर्हता :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य ,

(ii) न्यूनतम शारीरिक मानक :-

(क) पुरुष

(i) ऊँचाई :

(क) साधारण या अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए -170 से.मी.

(ख) **शिथिलीकरण:** गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, और जम्मू और कश्मीर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए -165 से.मी।

(ग) अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों के लिए -162.5 से.मी.।

(ii) **छाती.**-(क) सभी अभ्यर्थियों के लिए (अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) जिसमें गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा सम्मिलित हैं और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, और जम्मू और कश्मीर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए - 80-85 से.मी.

(ख) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 77-82 से.मी.

(ख) महिला

(i) ऊँचाई :

(क) साधारण या अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए -157 से.मी.

(ख) **शिथिलीकरण:** गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, और जम्मू और कश्मीर राज्यों से संबंधित

अभ्यर्थियों के लिए – 155 सें.मी ।

(ग) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम –154 से.मी. ।

(ii) छाती— लागू नहीं होती ।

भार— चिकित्सा मानक के अनुसार, ऊँचाई और आयु के अनुरूप (महिला और पुरुषों के लिए) ।

चिकित्सा मानक :

(क) दृष्टि मानक –

1. बिना सहायता दृष्टि तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)–

अच्छी आँख – एन 6

खराब आँख – एन 9

2. सुधार के बिना दृष्टि तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)

अच्छी आँख – 6/6

खराब आँख – 6/9

3. अपवर्तन – किसी भी तरह की दृष्टि सुधार अनुज्ञेय नहीं है, चश्मे द्वारा भी नहीं ।

4. रंग दृष्टि – अभ्यर्थी उच्च रंग दृष्टि रखते हों ।

टिप्पण: दाहिने हाथ वाले व्यक्ति के लिए दाहिनी आँख अच्छी आँख है और बाँये हाथ वाले व्यक्ति के लिए बाँयी आँख अच्छी आँख है । दूरदृष्टि आवश्यक है ।

(ख) अभ्यर्थियों को संहत जानु, चपटे पैर, फूली हुई नसें या भेंगी आँखों वाला नहीं होना चाहिए । उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन में बाधा आने की संभावना हो ।

स्पोर्ट्स कार्मिक: स्पोर्ट्स मैन समुचित विद्याशाखाओं की आवश्यकता अनुसार लिये जाएंगे ।

टिप्पण 1.—स्पोर्ट्स मैन भर्ती के लिए एक सदस्य भारत सरकार के खेल प्राधिकरण से सहयोजित सदस्य होगा ।

टिप्पण 2.—स्पोर्ट्स मैन प्रवेश के विनियमन के लिए विभाग या मंत्रालय द्वारा विशेष प्रशासनिक आदेश जारी किए जाएंगे ।

(iii) **भूतपूर्व सैनिकों/पुर्ननियोजन के लिए.**— सेवानिवृत्त और निर्मुक्त किए गए सेना के कार्मिक जो सेना, नौसेना और वायु सेना में नायव सूबेदार (कार्यपालक) या समतुल्य रैंक धारण किये हुए हैं (जो समतुल्य मानद् रैंक धारण करते हैं पात्र नहीं होंगे) तथा निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरी करते हैं अर्थात् .—

(क) **आयु.**—वास्तविक आयु में से सेवा काल + 3 वर्ष घटाये जाएंगे और परिणामिक आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(ख) **शैक्षिक अर्हता.**— ऐसे स्नातक भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने भारतीय सेना शिक्षा में विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायुसेना में समरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो जिन्होंने अन्तिम तारीख को केन्द्र की सशस्त्र सेनाओं में 15 वर्ष से कम सेवा न की हो, विज्ञापित किये गये पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा, ऐसे गैर स्नातक भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, वे पात्र नहीं माने जाएंगे ।

(ग) **चिकित्सा मानक.**—(i) शेप-1 और भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों के लिए विहित के समतुल्य चिकित्सा श्रेणी होनी चाहिए ।

(ii) दृष्टि मानक (प्रवेश पर आयु 35 से 55 वर्ष)

(1) दृष्टि तीक्ष्णता सुधार के पश्चात् (निकट की)

अच्छी आँख – एन 6

खराब आँख – एन 9

(2) दृष्टि तीक्ष्णता सुधार के पश्चात् (दूर की)

अच्छी आँख – 6/9 या 6/6

खराब आँख – 6/9 या 6/12

(3) अपवर्तन.—

हाइपरमेट्रोपिया: + 2 डीएस

मायोपिया : - 2.5 डीएस

जिसके अंतर्गत + या - सिलिण्डर भी है ।

टिप्पण.—35 वर्ष की आयु के पश्चात् मनोवैज्ञानिक दूर दृष्टिक परिवर्तन होने की संभावना रहती है इसलिए आयु संबंधी दूर दृष्टिक परिवर्तन शिथिलीकरण निकट दृष्टि के लिए नीचे यथा उल्लिखित प्रकार से अनुज्ञेय है। (यह शिथिलता दूर दृष्टि के लिए पहले से दी गयी शिथिलता के अतिरिक्त है) ।

1. 40 वर्ष की आयु तक + 1 डीएस
2. 50 वर्ष की आयु तक + 2 डीएस
3. 60 वर्ष की आयु तक + 3 डीएस
4. रंग दृष्टि.— अभ्यर्थी उच्च रंग दृष्टि रखता हो ।

टिप्पण 1.—दाहिने हाथ वाले व्यक्ति के लिए दाहिनी आँख अच्छी आँख है और बाँए हाथ वाले व्यक्ति के

लिए बाँयी आँख अच्छी आँख है। दूर दृष्टि अपेक्षित है। दूर दृष्टिक परिवर्तन और अपवर्तक त्रुटियाँ 35 वर्ष की आयु के पश्चात् सामान्य है ।

टिप्पण 2.—सूचीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों को, अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो चिकित्सा परीक्षण है उसे पूरा करना होगा और चिकित्सा दृष्ट्या योग्य घोषित किया जाना चाहिए ।

(घ) **चरित्र.—** बहुत अच्छा या अनुकरणीय

(ङ.) **शारीरिक मानक.—** भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक मानक में पूर्णतः छूट है ।

(च) **सेवा में व्यवधान.—** दो वर्ष से अधिक नहीं ।

(छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए शिथिलता प्रदान की जाएगी ।

टिप्पण.—केवल वे कार्मिक ही पुर्ननियोजन पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र होंगे जो रिक्तियों के विज्ञापित होने की तारीख को वास्तव में निर्मुक्त या सेवानिवृत्त हुए हो ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षार्थी और पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(क) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके अंतर्गत दस प्रतिशत कोटा भूतपूर्व सैनिकों के लिए और पाँच प्रतिशत स्पोर्ट्स मैन के लिए है, जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा । (ख) पैंतीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । (ग) पन्द्रह प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा या दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जायेगा ।

(11)

(i) **प्रोन्नति.—** ऐसे हैड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और हैड कांस्टेबल (ड्राइवर) जिनकी श्रेण-1 में रहते हुए विहित पाँच वर्ष की नियमित सेवा है और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सहायक उप-निरीक्षक (कार्यपालक) के लिए विहित कैडर प्रोन्नति पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किए हुए हैं ।

टिप्पण 1.— रिक्तियाँ हैड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और हैड कांस्टेबल (ड्राइवर) में से पाँच और एक के अनुपात में भरी जाएंगी और उपयुक्त हैड कांस्टेबल (ड्राइवर) के अभाव में सभी रिक्तियाँ हैड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) से भरी जाएंगी ।

टिप्पण 2.— जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया

जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 3.— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(ii) प्रतिनियुक्ति.—

(क) केन्द्रीय पुलिस संगठन या राज्य पुलिस संगठन में सहायक उप-निरीक्षक (कार्यपालक) रैंक या समतुल्य रैंक के कार्मिक, या

(ख) केन्द्रीय पुलिस संगठन या राज्य पुलिस संगठन में हैड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) या समतुल्य रैंक के कार्मिक जिन्होंने उक्त रैंक में पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है और

(ग) शेष-1 चिकित्सा प्रवर्ग में होना चाहिए ।

टिप्पण 1.—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2.—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी और किसी भी दशा में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3.—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4.—प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गयी सेवा समझी जायेगी ।

(iii) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा:

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के ऐसे कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और हैड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) तथा कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) जिनकी श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा है या कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल के रूप में पाँच वर्ष की सम्मिलित सेवा है और स्तंभ (7) के अधीन विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं रखते हैं; में से सीधी विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा ।

(ख) चिकित्सा मानक सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के समान हो ।

(ग) सेवा का अच्छा रिकार्ड रखते हों

(घ) ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक न हो ।

(ङ) चयनित अभ्यर्थियों के लिए महानिदेशक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा यथा विहित आधारीक प्रशिक्षण अर्हित होना आवश्यक है ।

(च) किसी कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तीन से अधिक अवसर नहीं दिए जाएंगे ।

टिप्पण 1.—परीक्षा में लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सीय परीक्षण शामिल होंगे ।

टिप्पण 2.—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा ।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का अधिकारी जो कमाण्डेंट रैंक से नीचे का न हो — अध्यक्ष 2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के किसी अन्य कार्यालय या एकक का एक उप कमाण्डेंट या सहायक कमाण्डेंट या चिकित्सा अधिकारी — सदस्य 3. कार्यालय या एकक का सहायक कमाण्डेंट — सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ई-32012/05/2011/स्था-1]

हरीश चंदर, उप सचिव (कार्मिक-1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2013

G.S.R. 788(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 read with clause (a) of sub-section (2) of Section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), and in supersession of Central Industrial Security Force, Security Wing (Subordinate Ranks) Group 'B' and Group 'C' Posts Recruitment Rules 2010, in so far as they relate to the post of Assistant Sub-Inspector (Executive), except as respect things done and omitted to be done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Sub-Inspector (Executive) in the Central Industrial Security Force, in the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Central Industrial Security Force, Security Wing, Assistant Sub-Inspector (Executive) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, Classification, Pay band and grade pay or pay scale.—The number of said posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Medical Standards.—(1) The person who seeks appointment under these rules shall fulfil the SHAPE-I medical standards.

(2) For the purposes of sub-rule (1), “SHAPE-I” shall mean the medical category which shall be governed by the executive instructions issued from time to time by the Ministry of Home Affairs or Forces concerned, that is, **S** – Psychiatric problems, **H** – Hearing (Ear diseases), **A** – Appendages pertains to the problems of upper or lower limbs, that is, arms and legs, **P** – Factor is related to other disease like Hypertension (High Blood Pressure), Cardiac disease (Heart Diseases), Diabetes (High Sugar), Obesity (being Fat – overweight), Cancer, etc. and **E** – Eye sight or Eye diseases.

6. Ineligibility of aliens.—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to the appointment or employment of a subject of **Nepal or Bhutan** in the Force.

7. Superannuation.—(1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which such person attains the age of sixty years or such other age as may be specified by the Central Government from time to time.

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the specified age of retirement on superannuation.

8. Powers to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non- selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Sub-Inspector (Executive).	6439* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs.5200-20200 with grade pay Rs.2800	Selection.

Age limit for direct recruits.

(6)

Between 20 to 25 years (Upper age limit shall be relaxable by five years for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and three years for other Backward Classes. Also relaxable for Government servant and Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. For Departmental candidates with minimum three years regular service in Central Government, upper age limit shall be 40 years for General and Other Backward Class candidates and 45 years for Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates).

Note.— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.

(7)

(i) Educational Qualification :

Bachelor’s degree from a recognised University or equivalent ;

(ii) Minimum Physical Standard :**(A) Male :****(i) Height**

- (a) General or other Backward Class or Scheduled Caste candidates – **170 Cms.**
- (b) Relaxation:
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the states of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Tripura, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, and Jammu and Kashmir – **165 cms.**
- (c) All candidates belonging to Scheduled Tribes categories – **162.5 cms.**

(ii) Chest:

- (a) for all candidates (except Scheduled Tribes) including Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the states of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Tripura, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, and Jammu and Kashmir – **80-85 Cms.**
- (b) for candidates belonging to Scheduled Tribes - **77-82 Cms.**

(B) Female:**(i) Height**

- (a) General or Other Backward Class or Scheduled Caste candidates – **157 Cms.**
- (b) **Relaxation:**
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the states of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Tripura, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, and Jammu and Kashmir – **155 cms.**
- (c) for candidates belonging to the Scheduled Tribes – **154 cms.**
- (ii) Chest:** Not applicable.

(C) Weight: Corresponding to height and age as per medical standards (For males and females).

Medical Standard:**(a) Visual Standard****1. Visual Acuity unaided (NEAR VISION)**

Better eye – N6

Worse eye – N9

2. Uncorrected visual acuity (DISTANT VISION)

Better eye – 6/6

Worse eye – 6/9

3. Refraction

Visual correction of any kind is not permitted even by glasses.

4. Color Vision

Candidates should possess high color vision.

Note: In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required.

- (b) Candidates must not have Knock Knee, Flat Foot, Squint in eyes or Varicose vein. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

Sports personnel:

Sportsmen will be taken as per requirement in the appropriate discipline.

Note 1. - In the recruitment for Sportsmen one of the members shall be co-opted from Sports Authority of India.

Note 2. - Special administrative orders for regulating the entry of sportsmen will be issued by the Department or Ministry.

Ex-servicemen/Re-employment :

Retired or released Army personnel who have held the substantive rank of Naib Subedar (Executive) or equivalent rank in the Army, Navy and Air Force (Those holding equivalent honorary ranks will not be eligible). They should fulfill the following requirements, namely:-

- (a) **Age** – Service plus three years to be deducted from the actual age and the resultant age should not exceed twenty five years.
- (b) **Educational Qualification:** A graduate Ex-service-man who has obtained the Indian Army Special Certificate of Education or corresponding certificate in the Navy or Air Force, who has put in not less than 15 years of service as on closing date with Armed Forces of the Union shall be considered eligible for appointment to the posts being advertised. Those non-graduate Ex-servicemen who have not completed 15 years of service as on the last date for receipt of applications are not eligible.

(c) Medical Standard:

(i) Should possess medical category SHAPE –I and equivalent to that prescribed for ex-Military personnel.

(ii) Visual Standard(age at entry 35-55 Years)**1. Visual Acuity corrected (NEAR)**

Better eye – N6

Worse eye – N9

2. Corrected visual acuity (DISTANT)

Better eye – 6/9 or 6/6

Worse eye – 6/9 or 6/12

3. Refraction

Hypermetropia : +2 DS

Myopia : -2.5 DS

Including +/-, Cylinder

Note.- Age related physiological presbyopic changes are likely to occur above 35 years so age wise presbyopic changes relaxation is permitted as mentioned below for near vision (this is in addition to that above relaxation already provided for distant).

1. +1 DS upto 40 years
2. +2 DS upto 50 years
3. +3 DS upto 60 years
4. Color Vision

Candidates should possess high color vision.

Note 1. - In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required. PRESBYOPIC changes and refractive errors are common after the age of 35 years.

Note 2. – Short listed candidates will undergo same medical examination as for other candidates and should be declared medically fit.

(d) **Character:** Very Good/ Exemplary.

(e) **Physical standard:** Total relaxation of physical standards for ex-servicemen.

(f) **Break in Service:** Not more than two years.

(g) Relaxation for ex-servicemen shall be as per the instructions issued by the Central Government from time to time.

Note: Only those personnel shall be eligible for consideration for appointment on re-employment who have actually released or retired on the date of advertisement of the vacancies.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment , whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption, and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
No	Two years for direct recruits, Limited Departmental Competitive Examinees and re-employees	(a) 50% (fifty percent) by direct recruitment including 10% (ten percent) quota for ex-servicemen and 5% for sportsmen failing which by promotion. (b) 35% (thirty five percent) by promotion, failing which by deputation.

		(c) 15% (fifteen percent) by selection through Limited Departmental Competitive Examination, failing which by promotion or failing both, by deputation.
--	--	---

In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.

(11)

(i) **Promotion:** Head Constable (General Duty) and Head Constable(Driver) with five years regular service in the rank being in medical category SHAPE-1 and have successfully completed promotion cadre course of Assistant Sub-Inspector (Executive) prescribed by the Central Government from time to time.

Note 1. - Vacancies shall be filled up from among Head Constable (General Duty) and Head Constable (Driver) in the ratio of 5:1 and in the absence of suitable Head Constables (Driver) all vacancies shall be filled up from amongst Head Constable (General Duty).

Note 2. - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

(ii) **Deputation:**

- (a) Personnel of the rank of Assistant Sub-Inspector (Executive) or equivalent ranks in Central Police Organisations or State Police Organisations; or
- (b) Personnel of the rank of Head Constable (General Duty) or equivalent ranks in the Central Police Organisations or State Police Organizations, who have completed five years regular service in the said rank; and
- (c) Should be in medical category SHAPE – I.

Note 1. - The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for appointment by promotion.

Note 2. - Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years and in no case shall exceed five years.

Note 3. - The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

Note 4.- For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(iii) By selection through Limited Departmental Competitive Examination:

- (a) By selection through Limited Departmental Competitive Examination from amongst Constable (General Duty) and Head Constable (General Duty) and Constable (Tradesmen) of Central Industrial Security Force with five years regular service in the grade or five years combined regular service as Constable and Head Constable and possessing educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column(7); and
- (b) Medical standard as for direct recruits.
- (c) Must have good record of service.
- (d) Upper age limit shall be not more than 35 years.
- (e) Selected candidates required to qualify the basic training as prescribed by the Director General of Central Industrial Security Force.
- (f) Not more than three chances will be given to any Constable or Head Constable (General Duty) and Constable (Tradesmen) for appearing in the Limited Departmental Competitive Examinations.

Note 1. - The examination will consist of Written Test, Physical Standard Test, Physical Efficiency Test, and Medical Examination Test.

Note 2. - The relaxation of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates shall be admissible as per the Government rules for Limited Departmental Competitive Examination.

If a Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee exist, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee (for confirmation and promotion) consisting of :— (i) An officer of the Central Industrial Security Force not below the rank of Commandant—Chairman. (ii) A Deputy Commandant or Assistant Commandant or Medical Officer from other Central Industrial Security Force Office/Unit—Member. (iii) Assistant Commandant of the Unit or Office—Member.	Not Applicable

[F. No. E-32012/05/2011/Estt.I]

HARISH CHANDER, Dy. Secy. (PERS.I)